



कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)



मानक पत्र (पंजीकृत पावती पत्र)
उप क्षेत्रीय कार्यालय, ठाणे
प्लॉट: ए-12/1, एम आई डी सी, एल बी एस मार्ग,
वागले इस्टेट डाकघर के पास, ठाणे (प.), महाराष्ट्र-400604
Sub Regional Office, Thane
Plot No.-A-12/1, MIDC, LBS Marg, Next to Wagle Estate
Post Office, Thane(W), Maharashtra-400604
Telephone- 69074700 to 99, Email: dir-thane@esic.nic.in,
Website: esicmaharashtra.gov.in

संख्या : 34000477510001008/ बीमा शाखा-II/A-3

दिनांक : 29 / 9 / 2022

सेवा में,

श्री/श्रीमती MOHIT TODKAR

35/a Thakkar House 3rd Floor Castle Mill Naka
Thane 400601

मैसर्स Core Ocean Solutions LLP.

35/a Thakkar House 3rd Floor Castle Mill Naka
Thane 400601

विषय : कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अधीन अंशदानों को अदायगी।

महाशय,

इस कार्यालय के रिकार्ड को देखने पर पता चला है कि कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम, 1950 के विनियम 26 के अधीन विनिर्दिष्ट समय सीमा के अन्तर्गत अवधि JAN-21 से JUL-21 तक का अंशदान की प्राप्ति नहीं हुई है। जैसा कि आपको विदित होगा कि अधिनियम की धारा-85 के अंतर्गत अंशदानों की निश्चित समय के अन्दर अदा न करना दण्डनीय अपराध माना गया है। इसके अलावा अधिनियम की धारा-45 के अन्तर्गत देय अंशदानों को तदर्थ आधार पर निर्धारित किया जा सकता है और उक्त अधिनियम के अन्तर्गत वह राशि हरजाने और ब्याज सहित भू-राजस्व बकाया के रूप में वसूल की जा सकती है।

अतः आपसे निवेदन है कि आप ऊपर बताई अवधि के अंशदानों का तुरन्त भुगतान कर दें। यदि अपने अंशदानों का भुगतान कर दिया है तो एक सप्ताह के अंदर भुगतान की तारीख, अदा की गई धनराशि, भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का नाम तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम के उक्त धनराशि के अंतरण की तारीख के साथ-साथ संबंधित चालान की एक सुपाठ्य झेरोक्स प्रति/प्रमाण पत्र इस कार्यालय को भेजने की कृपा करें ताकि चूक करने वाले नियोजकों की सूची में से आपके नाम को काटा जा सके तथा अंशदानों की वसूली से संबंधित अनिच्छापूर्वक किए जाने वाले बाध्यकर वैधानिक/अभियोजन कार्रवाई को रोका जा सके।

कृपया इस बात का ध्यान रखा जाए कि यदि इस पत्र का उत्तर आप नहीं देते हैं तो हमें अनिच्छापूर्वक यह निर्णय लेना होगा कि आपने अंशदानों की अदायगी करने में चूक की है और इसके लिए यथोचित कार्रवाई की पहल की जाएगी।

भवदीय,

(धीरेन्द्र कुमार)
साहक निदेशक